प्रथम सूचना रिपोर्ट

(अन्तर्गत धारा 154 दण्ड प्रक्रिया संहिता)

1. जिला भ्र0नि0 ब्यूरो, बून्दी थाना :– प्रधान आरक्षी केन्द्र, भ्र.नि.ब्यूरो, जयपुर वर्ष :– 2023
   प्र0सू0रि0 सं ......193/2023......दिनांक......18.07.2023..............................
2. (1) धारा ....**7सी,13(1)(ए), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018)** ....
   (2) अन्य अधिनियम एवं ....धाराऐं ....
3. (क) घटना का दिन :– **अप्रेल 2021 से जून 2021 तक**
   (ख) थाने/चौकी पर सूचना प्राप्त होने की दिनांक :– 25.06.2021
   (ग) रोजनामचा संदर्भ प्रविष्टि संख्या ....885........ समय..........6:15 PM.........
4. सूचना कैसे प्राप्त हुई– (लिखित/मौखिक) – **लिखित**
5. घटनास्थल का ब्यौरा :–
   (क) चौकी से दिशा एवं दूरी – **दक्षिण–पश्चिम एवं नमाना, रामगंज के आंगनबाडी केन्द्र**
   बीट संख्या...जुरामदेही सं...
   (ख) पताः– कार्यालय बाल विकास परियोजना परियोजना बूंदी के नमाना व रामगंज सेक्टर
   (ग) यदि इस थाने की सीमा से बाहर हो, तब उस थाने का नाम..............
6. शिकायतकर्त्ता/इतिला देने वाला :–
1. (क) नाम :– **श्रीमती सरोज मेहर**
   (ख) पति का नाम :– **श्री पुष्कर लाल मेहर**
   (ग) जन्म तिथि/उम्र :– **59 साल**
   (घ) राष्ट्रीयता – भारतीय
   (ड़) पासपोर्ट संख्या.......................जारी करने की तिथि.............................जारी करने का स्थान
   (च) व्यवसाय – **राजकीय सेवा में**
   (छ) पता :– **अस्तित्व अपार्टमेन्ट बी ब्लॉक प्रथम तल स्टेशन रोड कोटा तत्कालीन बाल विकास परियोजना अधिकारी (अति. चार्ज) परियोजना बूंदी जिला बूंदी।**
7. ज्ञात/संदिग्ध/अज्ञात अभियुक्तों का पूर्ण विवरण :–
   (1) श्रीमती सुधा माहेश्वरी पत्नि श्री जगदीश बाहेती जाति महाजन उम्र 46 साल निवासी अमर कटला थाना कोतवाली जिला बूंदी तत्कालीन महिला पर्यवेक्षक सेक्टर गुढानाथावतान हाल महिला पर्यवेक्षक सेक्टर तालेडा–प्रथम जिला बूंदी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी जिला बूंदी।
8. शिकायत/इतिला देने वाले द्वारा सूचना देने में देरी का कारण :– कोई नहीं
9. चोरी हुई/लिखित सम्पति की विशिष्टियॉ (यदि अपेक्षित हो तो अतिरिक्त पन्ना लगायें)
10. चोरी हुई/लिखित सम्पति का कुल मूल्यः – चना दाल कीमत अनुमानित 4,80,649 रूपये
11. पंचनामा/यूडी के संख्या (अगर हो तो)..
12. प्रथम सूचना रिपोर्ट की विषयवस्तु :–

वाक्यात मामला इस प्रकार है कि परिवादिया श्रीमती सरोज मेहर, बाल विकास परियोजना अधिकारी, अति. चार्ज बूंदी ने लिखित शिकायत इस आशय की प्रेषित की, कि –"गुढानाथावतान व नमाना सेक्टर में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को दबाव में लेकर हस्ताक्षर करवाकर, राशन डीलर एवं आंगनबाडी केन्द्रों से चना दाल उठाव " की शिकायत के संज्ञान में आने पर जिला कलक्टर महोदय के निर्देशानुसार प्रकरण की विस्तृत जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से उप निदेशक कार्यालय बूंदी के आदेश कमांक 310 दिनांक 21.06.2021 के द्वारा जिला स्तरीय जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 22.06.2021 के अन्तर्गत सम्बंधित आंगनबाडी कार्यकर्ताओं के लिखित बयान प्रस्तुत किये गये, जिसके अनुसार बूंदी परियोजना के सेक्टर गुढानाथावतान की महिला पर्यवेक्षक श्रीमती सुधा माहेश्वरी द्वारा आंगनबाडी कार्यकर्ताओं से खाली कागज पर हस्ताक्षर करवाये गये और महिला पर्यवेक्षक द्वारा स्वयं के स्तर से ही पोषाहार सामग्री राशन डीलर से प्राप्त कर गई और सम्बंधित आंगनबाडी केन्द्रों को उपलब्ध नही करवाया गया।

परियोजना बूंदी के 18 आंगनबाडी केन्द्रों को माह जनवरी 2021 से मार्च 2021 में सप्लाई की जाने वाली चना की दाल 7725 किलोग्राम मात्रा आरोपी श्रीमती सुधा माहेश्वरी द्वारा स्वयं के स्तर से प्राप्त किये जाकर लगभग 4,80,649 रूपये की सम्भावित राशि की राजकोष को हानि पहुँचाई गई। उक्त परिवाद आर.नम्बर 5116/2021 दिनांक 26.07.2021 के सम्बंध में ब्यूरो

मुख्यालय के आदेश क्रमांक 2669–71 दिनांक 28.02.2023 से प्राथमिक जांच पंजीबद्ध करने का निर्णय लिया जाकर श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक, महिला एवं बाल विकास विभाग बूंदी के विरूद्ध प्राथमिक जांच संख्या 11/2023 दिनांक 01.03.2023 दर्ज की जाकर जांच मन् उप अधीक्षक भ्रनिब्यूरो द्वारा की गई।

जांच के कम में परिवादिया श्रीमती सरोज मेहर, तत्का. बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी शहर एवं उक्त मामले के सम्बंध में कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बूंदी के कार्यालय आदेश कमांक 310 दिनांक 21.06.2021 से गठित जिला स्तरीय जांच समिति के सदस्यों श्री राकेश कुमार जैन सहायक लेखाधिकारी–प्रथम, श्री भवानीशंकर मीणा अति. प्रशासनिक अधिकारी, श्री आशा राम नागर सहायक लेखाधिकारी–द्वितीय, श्रीमती ज्योति गोठसे महिला पर्यवेक्षक तथा आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती कमलेश मीणा, श्रीमती सुनीता मीणा, राधा बाई, श्रीमती शांता देवी वर्मा, श्रीमती शक्ति शर्मा, श्रीमती कान्ता मालव, श्रीमती कृष्णा भील, श्रीमती कान्ता सैनी, श्रीमती मनभर बाई, श्रीमती कैलाश मीणा, श्रीमती सिमर जीत कौर, श्रीमती सुशीला मीणा, श्रीमती आशा देवी, श्रीमती सजना बाई गुर्जर, श्रीमती मन्जु गुर्जर, श्रीमती राजकरन्ता मीणा, श्रीमती विमला शर्मा, श्रीमती मन्दोरी कुमारी, श्रीमती शशिकला चितोडा तथा नमाना सेक्टर प्रभारी श्रीमती मंजु झरवाला के बयान लेखबद्ध किये गये।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी के पत्रांक 97 दिनांक 05.07.2021 के सलंग्न कार्यालय उप निदेशक, महिला एवं बाल विकास विभाग, बूंदी के कार्यालय आदेश कमांक 310 दिनांक 21.06.2021 से गठित जिला स्तरीय जांच समिति एवं उक्त समिति की जांच रिपोर्ट, कार्यकर्ताओं द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र, आरोपिया सुधा माहेश्वरी द्वारा स्वयं के स्तर से आंगनबाडी केन्द्रों की चना दाल उठाने का केन्द्र वाईज चार्ट की प्रमाणित प्रति शामिल पत्रावली की गई। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी से घटना अवधि में सेक्टर वाईज प्रभारी, कार्यकर्ताओं की सूची, पोषाहार सामग्री केन्द्रों पर जाने एवं आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी, महिला पर्यवेक्षक के पदस्थापन के सम्बंध में सूचना प्राप्त की गई। श्रीमती मंजू झलवाला महिला पर्यवेक्षक नमाना द्वारा एक प्रार्थना पत्र मय रंगीन फोटोग्राफ आरोपिया सुधा माहेश्वरी द्वारा केन्द्र से दाल उठाने के सम्बंध में पेश किया, जिसको शामिल जांच किया गया।

आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी, महिला पर्यवेक्षक का बयान स्पष्टीकरण लिया गया तथा विभाग द्वारा आरोपिया को दिये गये नोटिस अन्तर्गत धारा 16 सी.सी.ए. की स्वप्रमाणित प्रति पेश करने पर शामिल पत्रावली की गई।

प्राथमिक जांच में लेखबद्ध बयानों एवं संकलित दस्तावेजों के अधार पर पाया गया कि–

बूंदी जिले में कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, बूंदी के अधीन कुल 5 बाल विकास परियोजना अधिकारी के.पाटन, तालेडा, बूंदी, नैंनवा, हिण्डोली कार्यरत है। बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी के अधीन क्षेत्र को सेक्टरों में विभाजित किया हुआ है तथा प्रत्येक सेक्टर में महिला पर्यवेक्षक (सुरपवाईजर) को प्रभारी अधिकारी नियुक्त किया गया है। आंगनबाडी केन्द्रों पर लाभार्थियों की संख्या के अनुसार पोषाहार आवंटित होने पर आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा सम्बंधित उचित मूल्य की दुकान/राशन डीलर से पोषाहार सामग्री प्राप्त कर अपने–अपने केन्द्र के माध्यम से पोषाहार वितरित किया जाता था। सेक्टरों पर निरागनी कार्य सम्बंधित कार्य महिला पर्यवेक्षक द्वारा किया जाता है। महिला पर्यवेक्षक अपने–अपने सेक्टर में आंगनबाडी कार्यकर्ताओं की मिटिंग/भौतिक सत्यापन करके पोषाहार आवंटन, पोषाहार उठाव एवं शेष आदि का ब्योरा बाल विकास परियोजना अधिकारी में देने पर वहां से सेक्टर वाईज सूचना एकजाई होकर उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, बूंदी को प्रेषित की जाती की जाती है जहां से पोषाहार की सूचना निदेशालय मुख्यालय को भिजवाई जाती है।

पोषाहार सामग्री आवंटन होने पर विभाग द्वारा उचित मूल्यों की दुकानों पर राशन भिजवाया जाता है वहां से आंगनबाडी कार्यकर्ता राशन प्राप्त कर लाभार्थियों को वितरित कर देती है। विभागीय नियमानुसार पोषाहार का उठाव करने के लिये आंगनबाडी कार्यकर्ता ही अधिकृत है और पोषाहार का उठाव भी आंगनबाडी कार्यकर्ता द्वारा करके आंगनबाडी केन्द्र से वितरित किया जाता है। महिला पर्यवेक्षक सिर्फ अपने सेक्टर के अधीन आंगनबाडी केन्द्रो का सुपरविजन करती है।

सन् 2021 में श्रीमान जिला कलक्टर बूंदी का पत्रांक 1747–48 दिनांक 18.06.2021 कार्यालय उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, बूंदी में प्राप्त हुआ था, जिसमें ग्राम पंचायत भैरूपुरा बरड, कालपूरिया, आमली, लाईचा में राशन डीलरों/आंगनबाडी केन्द्रो पर राशन

सामग्री वितरण अनियमितता सम्बंधी आरोप अंकित थे। इस पर उप निदेशक महिला एवं बाल विकास विभाग, बूंदी के कार्यालय आदेश क्रमांक 310 दिनांक 21.06.2021 से मामले की जांच हेतु जिला स्तरीय जांच समिति का गठन करके चार सदस्य 1. श्री भवानीशंकर मीणा, अति. प्रशा. अधिकारी बूंदी, 2. श्री राकेश कुमार जैन, सहायक लेखाधिकारी द्वितीय बूंदी, 3. श्री आशाराम नागर कनिष्ठ लेखाकार सीपीडीओ नैंनवा, 4. ज्योति गौठसे महिला पर्यवेक्षक, अति. प्रशा. चार्ज सीपीडीओ हिण्डोली टीम गठित कर सन् 2020–21 की चतुर्थ तिमाही (जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक) में चना दाल आवंटित एवं वितरण की विस्तृत जांच कर रिपोर्ट पेश करने हेतु निर्देशित किया गया। जांच समिति द्वारा संयुक्त जांच निष्कर्ष में प्रथम दृष्टया माना कि श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक गुढानाथावतान द्वारा अपने कार्यक्षेत्र में नही होने के बावजूद भी चना दाल के उठाव में हस्तक्षेप किया जाना प्रतीत होना माना। कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी शहर से प्राप्त सूचना के अनुसार परियोजना बूंदी के नमाना व रामगंज बालाजी सेक्टर के 18 आंगनबाडी केन्द्रो को माह जनवरी 2021 से मार्च 2021 में सप्लाई की जाने वाली चना दाल 7725 किलोग्राम को सुधा माहेश्वरी द्वारा स्वयं के स्तर से उसको आवंटित कार्य क्षेत्र से बाहर जाकर प्राप्त करना प्रथम दृष्टया विभागीय जांच समिति के स्तर पर दृष्टिगत होने पर उक्त मात्रा का विभागीय दर से वित्तीय आंकलन के अनुसार लगभग 4,80,649 रूपये की सम्भावित राशि के राजकोष से खुर्द बुर्द किया जाना माना गया।

विभागीय स्तर पर गठित जिला स्तरीय जांच समिति के समक्ष नमाना व रामगंज बालाजी सेक्टर की 18 आंगनबाडी केन्द्रों की आंगनबाडी कार्यकर्ताओं ने लिखित शिकायती प्रार्थना पत्र आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक सेक्टर गुढानाथावतान के विरूद्ध पेश किये गये है, उक्त आंगनबाडी कार्यकताओं के बयान प्राथमिक जांच में लेखबद्ध किये गये। जांच में लिये गये उक्त कार्यकर्ताओं के बयानों से सामने आया कि श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक अपने क्षेत्राधिकार (गुढानाथावतान) के सेक्टर से परे जाकर अन्य महिला पर्यवेक्षक श्रीमती मंजू झलवाला के सेक्टर नमाना एवं रामगंज बालाजी के आंगनबाडी केन्द्रों को आवंटित पोषाहार सामग्री चने की दाल को अपने पद के प्रभाव का दुरूपयोग करते हुये आंगनबाडी केन्द्रों से अन्य केन्द्रों पर वितरित करने की बात कहकर, उचित मूल्य की दुकान पर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को बुलाकर खाली फोरमेट पर हस्ताक्षर कर पोषाहार सामग्री भरकर सीधे उठाना, पोषाहार सामग्री को खराब बताकर नई दाल भिजवाने आदि अनुचित तरिके से चने की दाल को इकट्ठा करके ले जाना प्राथमिक जांच में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया गया।

कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी शहर से प्राप्त सूचना के अनुसार जनवरी 2021 से मार्च 2021 तक की अवधि में कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी शहर के अधीन कुल 7 सेक्टर थे, जिन पर सेक्टरवाईज महिला पर्यवेक्षक लगी हुई थी। आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक सेक्टर गुढानाथावतान की प्रभारी थी। सेक्टर रामगंज बालाजी की प्रभारी श्रीमती मंजू झरवाला थी, जिनके पास सेक्टर नमाना का अतिरिक्त चार्ज था। आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के गुढानाथावतान सेक्टर से बाहर जाकर श्रीमती मंजू झलवाला महिला पर्यवेक्षक के क्षेत्राधिकार के सेक्टर नमाना व रामगंज बालाजी से नियम विरूद्ध तरिके से अपने पद का दुरूपयोग कर चना दाल को खुर्द बुर्द कर उक्त दाल को स्वयं प्राप्त कर राजकोषीय हानि कारित की है।

आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक द्वारा अपने बचाव स्पष्टीकरण में अंकित करवाया कि– *दिनांक 29.10.2020 को मैंने महिला पर्यवेक्षक के पद पर कार्यालय बाल विकास परियोजना बूंदी शहर में ज्वाईनिंग देने पर मुझे गुढानाथावतान सेक्टर का चार्ज दिया गया था। गुढानाथावतान सेक्टर में कुल 32 आंगनबाडी केन्द्र है। कार्यालय बाल विकास परियोजना बूंदी शहर के अधीन ही श्रीमती मंजु झलवाला महिला पर्यवेक्षक भी कार्यरत है, मंजु झलवाला के पास सन् 2020–21 में रामंगज व नमाना सेक्टर का चार्ज था। श्रीमती मंजु झलवाला महिला पर्यवेक्षक को कम्प्यूटर की बेसिक जानकारी नही होने के कारण वह अपने सेक्टर की रिपोर्ट कम्प्यूटर से मेरे से करवाती थी। मैंने नमाना सेक्टर के ग्राम पंचायत आमली के आंगनबाडी केन्द्र आमली, व्यास बावडी, गोपाल निवास, बिजनावर, प्रेमपुरा, पाकलपूरिया, सुन्दरपुरा, श्रवण की झोंपडी, लोईचा तथा कालपूरिया पंचायत के आंगनबाडी केन्द्र कालपूरिया, ढोल की झोपडी, सांकरदा एवं भैरूपुरा बरड पंचायत के आंगनबाडी केन्द्र मण्डावरी, मण्डावरा, अनोपपुरा, बांकी एवं रामगंज सेक्टर की सिलोर पंचायत के आंगनबाडी केन्द्र प्रथम व द्वितीय से मैंने पोषाहार सामग्री के तौर पर चने की दाल को नही उठाया तथा उक्त केन्द्रों की पोषाहार सामग्री को मैंने सम्बंधित*

राशन डीलर से भी नही उठाया। विभागीय नियमानुसार पोषाहार का उठाव करने के लिये आंगनबाडी कार्यकर्ता ही अधिकृत है और पोषाहार का उठाव भी कार्यकर्ता द्वारा करके केन्द्र से वितरित करने का है। महिला पर्यवेक्षक सिर्फ अपने अधीन केन्द्रो का सुपरविजन करती है। नवम्बर 2020 से मार्च 2021 तक मेरा पदस्थापन सेक्टर प्रभारी गुढानाथावतान ही था। मेरे पास नमाना व रामगंज सेक्टर का चार्ज मेरे पास नही रहा है। श्रीमती मंजु झलवाला अपने सेक्टर का काम मेरे से करवाती थी, उसके सेक्टरों में पोषाहार में गडबडियां थी। नमाना सेक्टर में केन्द्र वाईज कितना पोषाहार आवंटन हुआ, सम्बंधित डीलर के पास कब उपलब्ध हुआ, सम्बंधित डीलर से कार्यकर्ता केन्द्र के लिये पोषाहार कब लेकर गई, कब पोषाहार वितरण किया आदि सभी में गडबडियां थी, जिसके कारण कार्यकर्ताओं ने अपने बचाव के लिये मेरे विरूद्ध झूंठी शिकायतें की है। विभाग द्वारा मुझे 16 सीसीए नोटिस दिया गया है एवं नोटिस में बचाव के कम में मेरे द्वारा जवाब पेश किया गया है, नोटिस व जवाब की छायाप्रतियां पेश करती हूँ। इस मामले में मेरा कोई लेना देना नही है। मैंने किसी केन्द्र से कोई दाल नही उठाई है।"

आरोपिया द्वारा बचाव पक्ष के कम में पेश दलील के सम्बंध में जांच स्थिति इस प्रकार पाई गई कि " कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी शहर के अधीन कुल 7 सेक्टर थे, जिन पर सेक्टरवाईज महिला पर्यवेक्षक लगी हुई थी। आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक सेक्टर गुढानाथावतान की प्रभारी थी। सेक्टर रामगंज बालाजी की प्रभारी श्रीमती मंजू झरवाला थी, जिनके पास सेक्टर नमाना का अतिरिक्त चार्ज था। आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के सेक्टर से बाहर जाकर श्रीमती मंजू झलवाला महिला पर्यवेक्षक के क्षेत्राधिकार के सेक्टर नमाना व रामगंज बालाजी के आंगनबाडी केन्द्रों पर जाकर कार्यकर्ताओं को सेक्टर की वास्तविक प्रभारी मंजू झलवाला का स्थानान्तरण होने एवं स्वयं को नमाना व रामगंज बालाजी की सेक्टर प्रभारी होना बताकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुये आंगनबाडी केन्द्रों को आवंटित पोषाहार सामग्री चने की दाल को कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर आंगनबाडी केन्द्रों से अन्य केन्द्रों पर पोषाहार वितरित करने, उचित मूल्य की दुकान पर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को बुलाकर खाली फोरमेट पर हस्ताक्षर कर पोषाहार सीधे उठाना, केन्द्रो से पोषाहार सामग्री को खराब बताकर नई दाल भिजवाने की बात कहकर आदि अनुचित तरिके से चने की दाल को इकटठा करना एवं वाहन में रखवाकर ले जाना प्रमाणित पाया गया है। उक्त चना दाल का विभागीय दर से वित्तीय आंकलन लगभग 4,80,649 रूपये का होना पाया गया है।

आरोप के सम्बंध में आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक ने गुढानाथावतान सेक्टर का चार्ज स्वयं के पास होना बताया है। श्रीमती मंजु झलवाला के पास सन् 2020–21 में रामंगज व नमाना सेक्टर का चार्ज होना बताया है। इस मामले में स्वयं के विरूद्ध विभागीय जांच नियम 16 सीसीए के तहत विचाराधीन होना बताया है। आरोपिया द्वारा शिकायत झूंठी होना तथा नमाना व रामगंज बालाजी सेक्टर के आंगनबाडी केन्द्रों से चना दाल का उठाव नही करना अपने बचाव में बताया है। जांच से सामने आया है कि बूंदी परियोजना के अधीन सेक्टर नमाना व रामगंज बालाजी की आंगनबाडी कार्यकर्ताओं द्वारा अपने बयानों में सुधा माहेश्वरी द्वारा अपने पद का दुरूपयोग करते हुये कार्यकर्ताओं को कहा कि मैं आपकी नई सुपरवाईजर (महिला पर्यवेक्षक) हूँ, मंजू मैडम का स्थानान्तरण हो गया, दबाव पूर्वक चने की दाल को प्राइवेट वाहन में केन्द्रों व उचित मूल्य की दुकानों से ले जाना बताया है। विभाग द्वारा गठित जिला स्तरीय जांच समिति द्वारा भी आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक को चने की दाल उठाकर खुर्द बुर्द कर राजकीय हानि कारित करना अपनी जांच रिपोर्ट में माना है। महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा उक्त कृत्य के सम्बंध में आरोपिया को नियम 16 सीसीए नोटिस जारी किया है। आरोपिया द्वारा अपने क्षेत्राधिकार के सेक्टर गुढानाथावतान से परे अन्य महिला पर्यवेक्षक के सेक्टर नमाना व रामगंज बालाजी के आंगनबाडी केन्द्रों पर जाकर अवैध तरिके से चने की दाल को उठाया तथा खुर्द बुर्द करना पाया गया है। आरोपिया द्वारा शिकायत को झूंठा होना बताया है परन्तु कोई तर्कसंगत जवाब बचाव में पेश नही किया गया है, इस प्रकार आरोपिया की दलील स्वीकार्य नही मानी गई है।

नमाना सेक्टर में 35 एवं रामगंज बालाजी सेक्टर में 32 सेक्टर है। प्राथमिक जांच में अब तक 18 आंगनबाडी केन्द्रों के बारे में स्थिति स्पष्ट हुई है। आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती कमलेश मीणा, श्रीमती सुनीता मीणा, राधा बाई, श्रीमती शांता देवी वर्मा, श्रीमती शक्ति शर्मा, श्रीमती कान्ता मालव, श्रीमती कृष्णा भील, श्रीमती कान्ता सैनी, श्रीमती मनभर बाई, श्रीमती कैलाश मीणा, श्रीमती सिमर जीत कौर, श्रीमती सुशीला मीणा, श्रीमती आशा देवी, श्रीमती सजना बाई

गुर्जर, श्रीमती मन्जु गुर्जर, श्रीमती राजकरन्ता मीणा, श्रीमती विमला शर्मा, श्रीमती मन्दोरी कुमारी, श्रीमती शशिकला चितोडा तथा इसके अलावा आंगनबाडी केन्द्र ओलासपुरा की आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती शशिकला चितोडा व पराना भीलों का की आंगनबाडी कार्यकर्ता श्रीमती मन्दोरी कुमारी एवं आंगनबाडी एवं नमाना सेक्टर प्रभारी श्रीमती मंजु झरवाला के बयानों से स्पष्ट है कि –" आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी महिला पर्यवेक्षक, जो सेक्टर गुढानाथावतान की सेक्टर प्रभारी थी, उसके बावजूद कोविड–19 के सक्रमण के समय अपने आवंटित सेक्टर गुढानाथावतान से बाहर अन्य महिला पर्यवेक्षक श्रीमती मंजु झरवाला को आवंटित सेक्टर नमाना व रामगंज बालाजी के आंगनबाडी केन्द्रों पर जाकर कार्यकर्ताओं को सेक्टर की वास्तविक प्रभारी मंजू झलवाला का अन्यत्र स्थानान्तरण होने एवं स्वयं को नमाना व रामगंज बालाजी की सेक्टर प्रभारी होना बताकर अपने पद का दुरूपयोग करते हुये आंगनबाडी केन्द्रों को आवंटित पोषाहार सामग्री चने की दाल को कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाकर आंगनबाडी केन्द्रों से अन्य केन्द्रों पर पोषाहार वितरित करने की बात कहकर, उचित मूल्य की दुकान पर आंगनबाडी कार्यकर्ताओं को बुलाकर खाली फोरमेट पर हस्ताक्षर कर पोषाहार सीधे उठाना, केन्द्रो से पोषाहार सामग्री को खराब बताकर नई दाल भिजवाने की बात कहकर आदि अनुचित तरिके से चने की दाल को इकटठा करना एवं वाहन में रखवाकर ले जाना प्रमाणित पाया गया है।

कार्यालय बाल विकास परियोजना परियोजना बूंदी के अधीन नमाना व रामगंज बालाजी सेक्टर के 18 आंगनबाडी केन्द्र, जो जांच में वर्णित है, उक्त केन्द्रों को माह जनवरी 2021 से मार्च 2021 में सप्लाई की जाने वाली चना दाल 7725 किलोग्राम को सुधा माहेश्वरी द्वारा स्वयं के स्तर से प्राप्त करना एवं उक्त चना दाल का विभागीय दर से वित्तीय आंकलन लगभग 4,80,649 रूपये की सम्भावित राशि के राजकोष से खुर्द बुर्द किया जाना जांच में प्रथम दृष्टया प्रमाणित होना पाया गया है।

अतः प्राथमिक जांच से आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी पत्नि श्री जगदीश बाहेती जाति महाजन उम्र 46 साल निवासी अमर कटला, बूंदी शहर जिला बूंदी तत्कालीन महिला पर्यवेक्षक सेक्टर गुढानाथावतान हाल महिला पर्यवेक्षक सेक्टर तालेडा–प्रथम जिला बूंदी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी बूंदी जिला बूंदी के विरूद्ध जुर्म धारा 7सी,13(1)(ए), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) का अपराध प्रथम दृष्टया प्रमाणित पाया गया है। आरोपिया के विरूद्ध जुर्म धारा 7सी,13(1)(ए), 13(2) पी.सी. एक्ट 1988 (यथा संशोधित 2018) में बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट तैयार की जाकर क्रमांकन हेतु श्रीमान महानिदेशक महोदय, भ्रनिब्यूरो, राज. जयपुर की सेवामें प्रेषित है।

(ज्ञानचन्द)
पुलिस उप अधीक्षक
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो
बून्दी

कार्यवाही पुलिस

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त टाईप शुदा बिना नम्बरी प्रथम सूचना रिपोर्ट श्री ज्ञानचन्द, उप अधीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी ने प्रेषित की है। मजमून रिपोर्ट से जुर्म अन्तर्गत धारा 7(सी) 13(1)(ए) 13(2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (यथा संशोधित 2018) में आरोपिया श्रीमती सुधा माहेश्वरी पत्नी श्री जगदीश बाहेती, हाल महिला पर्यवेक्षक, सेक्टर तालेड़ा-प्रथम, जिला बून्दी कार्यालय बाल विकास परियोजना अधिकारी, बून्दी जिला बून्दी के विरूद्ध घटित होना पाया जाता है। अतः अपराध संख्या 193/2023 उपरोक्त धाराओं में दर्ज कर प्रथम सूचना रिपोर्ट की प्रतियाँ नियमानुसार कता कर तफ्तीश जारी है।

(रणधीर सिंह)
उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।

क्रमांकः- 2357-61 दिनांकः- 18.7.2023

प्रतिलिपिः- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

1. विशिष्ठ न्यायाधीश एवं सैशन न्यायालय, भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, कोटा।
2. निदेशक, समेकित बाल विकास सेवाएं, राजस्थान, जयपुर।
3. उप महानिरीक्षक पुलिस, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, कोटा।
4. अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक, भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, बून्दी।
5. अति. पुलिस अधीक्षक-परि., भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो, जयपुर(पी.ई.11/23)

उप महानिरीक्षक पुलिस-प्रशासन,
भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो,जयपुर।